

Implementing Agency and Fund Flow in Chhattisgarh State

राज्य भासन का मध्याह्न भोजन योजना के संचालनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की शत प्रतिशत शालाओं में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन स्थानीय महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जायेगा।

Implementing Agency In Chhattisgarh


S.N.	Name	Number of Schools
1	Women Self Help Group	42557
2	Gram Panchayat	55
3	N. G. O.	668
4	Head Master	1104
5	Others	537
	Total	44921







राज्य भासन द्वारा 2013 में लिया गया निर्णय

- ❑ कुकिंग कास्ट एवं रसोईया मानदेय के भुगतान हेतु राश्री विभाग द्वारा दो किस्तों में जारी किया जाये।
- ❑ इस हेतु वित्त विभाग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- ❑ कुकिंग कास्ट हेतु समस्त शालाओं में मध्याह्न भोजन योजना के संचालनकर्ता समूहों को एक माह की अग्रिम राश्री रोलिंग केपिटल के रूप में भुगतान किया जाये।
- ❑ प्रति माह विगत माह का वास्तविक भुगतान किया जाये।
- ❑ वर्ष के अंतिम माह में अग्रिम का समायोजन करते हुये भुगतान किया जावे।







कुकिंग कार्ट एवं रसोईया मानदेय का देयक (बिल) राज्य के साफ्टवेयर के माध्यम से लाभांवित की संख्या के आधार पर निकाला जाता है।

कोषालय से आहरण के उपरांत कुकिंग कार्ट एवं रसोईया मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाता में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है।